माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण
प्रिंसीपल बैंच, नई दिल्ली

(OA. No. 07/2021 (CZ)

श्री तरण तारण दिगम्बर जैन, तीर्थक्षेत्र निसई जी ट्रस्ट
विरूद्ध
मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा प्र.क्र.07/21, में दिनांक 13.04.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकेन रिपोर्ट

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा प्र.क्र.07/21, (श्री तरण तारण दिगम्बर जैन, तीर्थक्षेत्र निसई जी ट्रस्ट विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 13.04.2021 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैः–

(1) It is alleged that an ancient temple situtated in the centre of river Betwa near the ghat, three taapus are existing since time immemorial is being damaged due to illegal sand mining.
(2) The original application highlights majorly on the issue of illegal mining of sand going on and around naavghat, mallarghat at district Ashok Nagar of Madhya Pradesh wherein several miscreants are extracting sands from river Betwa by using pandubbis (boats with huge motors to slurp sand from the bottom of the river bed).
(3) In the year 2019] the Madhya Pradesh Sand Mining Rules were introduced where in every district were required to have its separate contractor or a group of contractors and accordingly the tender for district for Ashok Nagar was awarded in favour of Shri Rajandra Singh Raghuwanshi. In terms of the said policy the demarcated and declared sand quarries of the entire district were allotted in favour of the contractor and as a matter of fact, no valid sand quarry is in existence nearby the area of the applicant Trust. It appears that the entire sand excavation activities going on near the Temple/naavghat area is illegal and being done at the behest of the contractor in order to by pass the embargo of paying requisite amount of royalty to the government.
(4) We deem it just and proper to constitute a Joint Committee consisting of District Collector, Ashok Nagar, Madhya Pradesh and Representative of Madhya Pradesh Pollution Control Board and direct them to submit a factual and action taken report within 4 weeks.

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकेन रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

1. निसई जी तीर्थ के आसपास मल्हारगढ़, तहसील मुंगावली बेतवा नदी में रेत का अवैध उत्खनन से तीर्थ मंदिरो मे होने वाले नुकसान को रोकने के उद्देश्य से आदेश क्रमांक 26/खनि/3–6/.2021/दिनांक 15.04.2021 को संयुक्त जांच टीम गठित की गई थी, जो इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–01 पर संलग्न** है।

2. संयुक्त जांच दल द्वारा दिनांक 20.04.2021 को श्री तारण तरण दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र निसई जी ट्रस्ट पोस्ट मल्हारगढ़, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) में स्थित पूज्य तारण जी स्वामी जी का सामायिक मंदिर एवं बेतवा नदी के बीच स्वामी जी के जीवन रक्षक टापूओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर पंचनामा तैयार किया गया है, एवं स्थल के फोटोग्राफ्स लिये गये है। निरीक्षण प्रतिवेदन, पंचनामा, फोटोग्राफ्स तथा अवैध माइनिंग को रोकने हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी **परिशिष्ट–02 पर संलग्न** है।

संयुक्त जांच दल में याचिकाकर्ता श्री रतनचंद्र जैन मंत्री–निसई जी ट्रस्ट भी शामिल थे, उनके द्वारा बताया गया कि बेतवा नदी में पूज्य तारण जी स्वामी के जीवन रक्षक तीन टापू है:– जिनमें से पहला टापू लगभग 60–65 वर्ष पूर्व देखा गया था उसके पश्चात से वह टापू दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा टापू भी अनेक वर्षो से दिखाई नहीं दे रहा है टापू के आसपास बड़ी–बड़ी घास खड़ी हुई है तथा आसपास पानी भरा हुआ है। तीसरे टापू की ऊंचाई जे.पी. पावर प्लांट के सहयोग से पत्थर, लोहे के सरियों एवं रेलिंग लगाकर ऊंचाई बढ़ाई गई है, इस टापू के बीच में एक चबूतरा बनाया हुआ है। श्रद्वालुगण नाव में बैठकर इस टापू तक पहुंचते हैं तथा पूजा–अर्चना करते हैं। निसईघाट पर श्रद्धालुओं के स्नान करने के लिये घाट बनाया हुआ है । नदी घाट के ऊपर पूज्य तारण जी स्वामी जी का सामायिक मंदिर स्थित है।

निरीक्षणदल द्वारा नाव में बैठकर तीनों टापुओं का अवलोकन किया गया , जिनमें से दो टापू निरीक्षणदल को दिखाई नहीं दिये केवल एक टापू दिखाई दिया। निरीक्षण दल को पूर्व के अवैध रेत खनन के कारण इन टापुओं को कोई नुकसान होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। लगभग 20 वर्ष पूर्व इस स्थल के डाउन स्ट्रीम में जे.पी. पावर प्लांट द्वारा बेतवा नदी पर स्टाप डेम बनाया गया है, डेम से पानी रोके जाने के कारण नदी का जल स्तर काफी बड़ा हुआ रहता है।

पूर्व में दिनांक 05.01.2021 अवैध रेत उत्खनन की शिकायत के आधार पर राजस्व, खनिज एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही के दौरान दो पनडुब्बियों को आग लगाकर नष्ट किया गया था, इस संबंध में प्रभारी खनि निरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 20.01.2021 संयुक्त जांच प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

याचिकाकर्ता श्री रतनचंद जैन द्वारा निरीक्षण दल को बताया गया कि भविष्य में मंदिर एवं टापुओं के आसपास रेत उत्खनन न होवे यह सुनिश्चित किया जाये। इस संबंध में खनिज विभाग द्वारा सतत् रूप से निगरानी रखी जा रही है, जिस कारण से विगत 04 माह से रेत निकासी की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

एक्शन टेकेन रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

दिनांकः–

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
विजयपुर–गुना

कलेक्टर
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर (म.प्र.)

क्रमांक/26 /खनि/3–6/ .2021/ अशोकनगर, दिनांक 15/04/2021

//आदेश//

एतद् द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2021 के पालनार्थ निसई जी तीर्थ के आसपास मल्हारगढ़ मुंगावली बेतवा नदी में रेत का अवैध उत्खनन से तीर्थ मंदिरों में होने वाले नुकसान को रोकने के उद्देश्य से निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारियों की टीम गठित की जाती है :–

1. क्षेत्रीय प्रमुख, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर, गुना ।
2. खनिज अधिकारी, अशोकनगर।
3. तहसीलदार, मुंगावली।
4. अध्यक्ष, निसई जी ट्रस्ट मल्हारगढ़, मुंगावली।

उपरोक्तानुसार टीम मल्हारगढ़ स्थित प्राचीन जैन मंदिरों के आसपास रेत खनिज के अवैध उत्खनन के संबंध में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

कलेक्टर
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/26 /खनि/3–6/ .2021/ अशोकनगर, दिनांक 15/04/2021

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

परिशिष्ट–02

श्री तरण तारण दिगम्बर जैन, तीर्थक्षेत्र निसई जी ट्रस्ट
विरूद्ध
मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य
संयुक्त जांच प्रतिवेदन

(निसई जी तीर्थ के आसपास मल्हारगढ़, तहसील मुंगावली बेतवा नदी में रेत का अवैध उत्खनन से तीर्थ मंदिरो मे होने वाले नुकसान की जांच)
दिनांक 20.04.2021

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा प्र.क्र.07/21, में दिनांक 13.04.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकेन रिपोर्ट

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण

प्रिंसीपल बैंच, नई दिल्ली

(OA. No. 07/2021 (CZ)

श्री तरण तारण दिगम्बर जैन, तीर्थक्षेत्र निसई जी ट्रस्ट
विरूद्ध
मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य

संयुक्त जांच प्रतिवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजो की सूची

क्रमांक	विवरण	परिशिष्ठ क्रमांक	पेज क्रमांक
1	निरीक्षण स्थल पर तैयार किया गया पंचनामा	1	
2	पंचनामा तैयार करते हुये स्थल के फोटोग्राफ्स	2	
3	पूज्य तारण जी स्वामी के जीवन रक्षक का दूसरा टापू जहां पर घास खड़ी हुई है, के फोटोग्राफ्स	3	
4	पूज्य तारण जी स्वामी के जीवन रक्षक का तीसरा टापू के फोटोग्राफ्स	4	
5	टापू के फोटोग्राफ्स	4.1	
6	नदी का घाट	5	
7	नदी घाट के ऊपर पूज्य तारण जी स्वामी जी का सामायिक मंदिर	6	
8	नाव में बैठकर निरीक्षण दल द्वारा टापूओं का अवलोकन करते हुये फोटोग्राफ्स	7	
9	प्रभारी खनि निरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 20.01.2021 एवं अन्य दस्तावेज	8	

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसीपल बैंच, नई दिल्ली
(OA. No. 07/2021 (CZ)

श्री तरण तारण दिगम्बर जैन, तीर्थक्षेत्र निसई जी ट्रस्ट विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य

संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बैंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2021 (श्री तरण तारण दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र निसाईजी ट्रस्ट विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 13.04.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में निरीक्षण प्रतिवेदन।

संदर्भ :– (1) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसीपल बैंच, नई दिल्ली (वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से) प्र.क्र. 07/2021 (सेन्ट्रल जोन) मे पारित आदेश दिनांक 13.04.2021

(2) सदस्य सचिव म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का पत्र क्र. 651/विधि/एनजीटी (सी.जेड)/प्रनिबो/21, भोपाल, दिनांक 15.04.2021

(3) कलेक्टर, जिला अशोकनगर का आदेश क्रमांक 26/खनि/3–6/.2021/, अशोकनगर, दिनांक 15.04.2021

संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 20.04.2021 को श्री तारण तरण दि. जैन तीर्थक्षेत्र निसई जी ट्रस्ट पोस्ट मल्हारगढ़, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) से लगभग 1.5 कि.मी. की दूरी पर पूर्व दिशा में बेतवा नदी में स्थित पूज्य तारण स्वामी जी का सामायिक मंदिर एवं बेतवा नदी के बीच में स्वामी जी के जीवन रक्षक तीन टापूओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर पंचनामा तैयार किया गया जो इस प्रतिवेदन के साथ **परिशिष्ट–01 पर संलग्न** है तथा फोटोग्राफ्स **परिशिष्ट–02 पर संलग्न** है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में याचिकाकर्ता श्री रतनचंद्र जैन मंत्री–निसई जी ट्रस्ट भी निरीक्षण दल में शामिल थे। उनके द्वारा बताया गया कि बेतवा नदी में पूज्य तारण जी स्वामी के जीवन रक्षक तीन टापू है, जिनमें से पहला टापू लगभग 60–65 वर्ष पूर्व देखा गया था उसके पश्चात से वह टापू दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा टापू भी अनेक वर्षों से दिखाई नहीं दे रहा है टापू के आसपास बड़ी–बड़ी घास खड़ी हुई है तथा आसपास पानी भरा हुआ है, जिसके फोटोग्राफ्स **परिशिष्ट–03 संलग्न** है। तीसरे टापू की ऊंचाई जे.पी. पावर प्लांट के सहयोग से पत्थर, लोहे के सरियों एवं रेलिंग लगाकर ऊंचाई बढ़ाई गई है, इस टापू के बीच में एक चबूतरा बनाया हुआ है फोटोग्राफ्स **परिशिष्ट–04 संलग्न** है। श्रृद्धालुगण नाव में बैठकर इस टापू तक पहुंचते हैं तथा पूजा–अर्चना करते हैं।

जे.पी. पावर प्लांट द्वारा लगभग 20 वर्ष पूर्व इस स्थल के डाउन स्ट्रीम में बेतवा नदी पर स्टाप डेम बनाया गया है, जिस कारण से नदी का जल स्तर बढ़ा रहता है। निसईघाट पर श्रृद्धालुओं के स्नान करने के लिये घाट बनाया हुआ है । नदी घाट के ऊपर प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, घाट एवं मंदिर के फोटोग्राफ्स परिशिष्ट–05 एवं 06 पर संलग्न है। निरीक्षणदल द्वारा नाव में बैठकर तीनों टापुओं का अवलोकन किया गया , फोटोग्राफ्स परिशिष्ट–07 पर संलग्न है। जिनमें से दो टापू निरीक्षणदल को दिखाई नहीं दिये केवल एक टापू दिखाई दिया, जिसके फोटोग्राफ्स इस प्रतिवेदन के साथ परिशिष्ट–4.1 पर संलग्न है।

निरीक्षण दल को पूर्व के अवैध रेत खनन के कारण इन टापुओं को कोई नुकसान होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। डाउन स्ट्रीम में बने जे.पी. पॉवर प्लांट के स्टॉप डेम से पानी रोके जाने के कारण नदी का जल स्तर काफी बड़ा हुआ रहता है। पूर्व में दिनांक 05.01.2021 अवैध रेत उत्खनन की शिकायत के आधार पर राजस्व, खनिज एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही के दौरान दो पनडुब्बियों को आग लगाकर नष्ट किया गया था, इस संबंध में प्रभारी खनि निरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 20.01.2021 एवं फोटोग्राफ्स परिशिष्ट– 08 पर संलग्न है।

याचिकाकर्ता श्री रतनचंद जैन द्वारा निरीक्षण दल को बताया गया कि भविष्य में मंदिर एवं टापुओं के आसपास रेत उत्खनन न होवे यह सुनिश्चित किया जाये। इस संबंध में खनिज विभाग द्वारा सतत् रूप से निगरानी रखी जा रही है, जिस कारण से विगत 04 माह से रेत निकासी की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(श्री डी.व्ही.एस. जाटव)
क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
विजयपुर–गुना

(श्री अशोक सिंगारे)
सहायक खनिज अधिकारी,
कार्यालय खनिज
अधिकारी, अशोकनगर

(श्री दिनेश सावले)
तहसीलदार
मुंगावली

(श्री रतनचंद जैन)
मंत्री –निसई जी ट्रस्ट, पोस्ट
मल्हारगढ़, रेलवे स्टेशन मुंगावली,
जिला अशोकनगर

पंचनामा

पंचनामा लिखते हैं हम पंचान ग्राम मल्हारगढ़ वालों ने कि आज दिनांक 20/04/2021 को कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर के आदेश क्रमांक /26/ ख.लि./3-6/ अशोकनगर दिनांक 15/04/2021 के पालन में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 13/04/2021 के पालनार्थ सिद्ध जी तीर्थ के आसपास मल्हारगढ़ (मुंगावली) तहसील के अन्तर्गत आने वाली बेतवा नदी में कार्य रेत का अवैध उत्खनन से मन्दिर क्षेत्र में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय अशोकनगर के द्वारा टीम गठित की गई है। जिसमें

1. क्षेत्रीय प्रमुख प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर गुना
2. खनिज अधिकारी जिला अशोकनगर
3. तहसीलदार तहसील (मुंगावली)
4. अध्यक्ष सिद्ध जी ट्रस्ट मल्हारगढ़ तहसील (मुंगावली)

सिद्ध जी ट्रस्ट मन्दिर ग्राम मल्हारगढ़ में स्थित है जहां से पूर्व दिशा की ओर लगभग 1 1/2 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा नदी बहती है बेतवा नदी दो जिलों की सीमा पर (अशोकनगर एवं सागर) ट्रस्ट मन्दिर तक जाने के लिए कच्चा रास्ता है जो नदी पर बनाये गये घाट तक जाता है नदी किनारे सिद्ध ट्रस्ट का मन्दिर है एवं ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया घाट है। जो मन्दिर क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को नहाने के लिए है तथा मौके पर उपस्थित ट्रस्ट के [illegible] श्री रतनचंद जैन द्वारा बताया गया कि बीच नदी में 3 टापू हैं जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं। जिनमें से 1 टापू तो डूब रहा है जिसकी लम्बाई x चौड़ाई 30x80 फीट है जो पावर प्लांट के सहयोग से पत्थरों एवं लोहे के एंगलों से टापू की ऊंचाई बढ़ाई गई है तथा बीच में चबूतरा बनाया गया है जिस पर श्रद्धालु नाव से बैठकर पूजा अर्चना करते हैं। जिसमें 1 टापू पर पानी भरा है दूसरा [illegible] है तीसरा टापू लगभग 60-65 वर्ष से नहीं दिखाई दिया है मंत्री जी के बताये अनुसार।

P.T.O.

CS Scanned with CamScanner

निरीक्षण दल द्वारा नाव में बैठकर टापुओं का अवलोकन किया गया किन्तु
नुकसान होने के कोई प्रमाण नहीं पाये गये। स्थल के डाउनस्ट्रीम
में खेती पावर प्लांट का स्टाफ डेम लगभग 20 वर्ष पूर्व बनाया गया
है जिस कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। स्थल के आसपास
2 वर्ष पूर्व अवैध रूप से रेत उत्खनन की शिकायत प्राप्त हुई थी
जिस पर राजस्व पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से
कार्यवाही कर पनडुब्बियों को नष्ट किया गया था। तब से आज तक
रेत का अवैध/वैध उत्खनन नहीं हो रहा है। भविष्य में रेत
उत्खनन स्थल के आसपास न हो यह सुनिश्चित किया जावे टापर
के मंत्री जी द्वारा बताया गया कि मिसेज घाट पर अभी तक जो उत्खनन
हुआ ~~[illegible]~~ भविष्य में उत्खनन न हो यह अनुरोध टापर
के मंत्री जी द्वारा बताया गया। पंचनामा मौके पर पढ़कर सुनाया
गया एवं मौका स्थिति के अनुसार तैयार किया गया।

(D.V.S. Jatav)
Regional Officer
MPPCB-Vijaypur/Gwalior

20/4/21
(Anoop Sonale)
Tehsildar Mungaoli

20/4/21

पप्पू सिंह

रतनचंद
मंत्री मिसेज जी ट्रस्ट [illegible]

RI

CS Scanned with CamScanner

Unnamed Road, Kiramchi Khedi, Madhya Pradesh 473443, India
Latitude
24.2865622°
Longitude
78.08532666°
Local 01:11:56 PM
GMT 07:41:56 AM
Altitude 339.55 meters
Tuesday, 20-04-2021

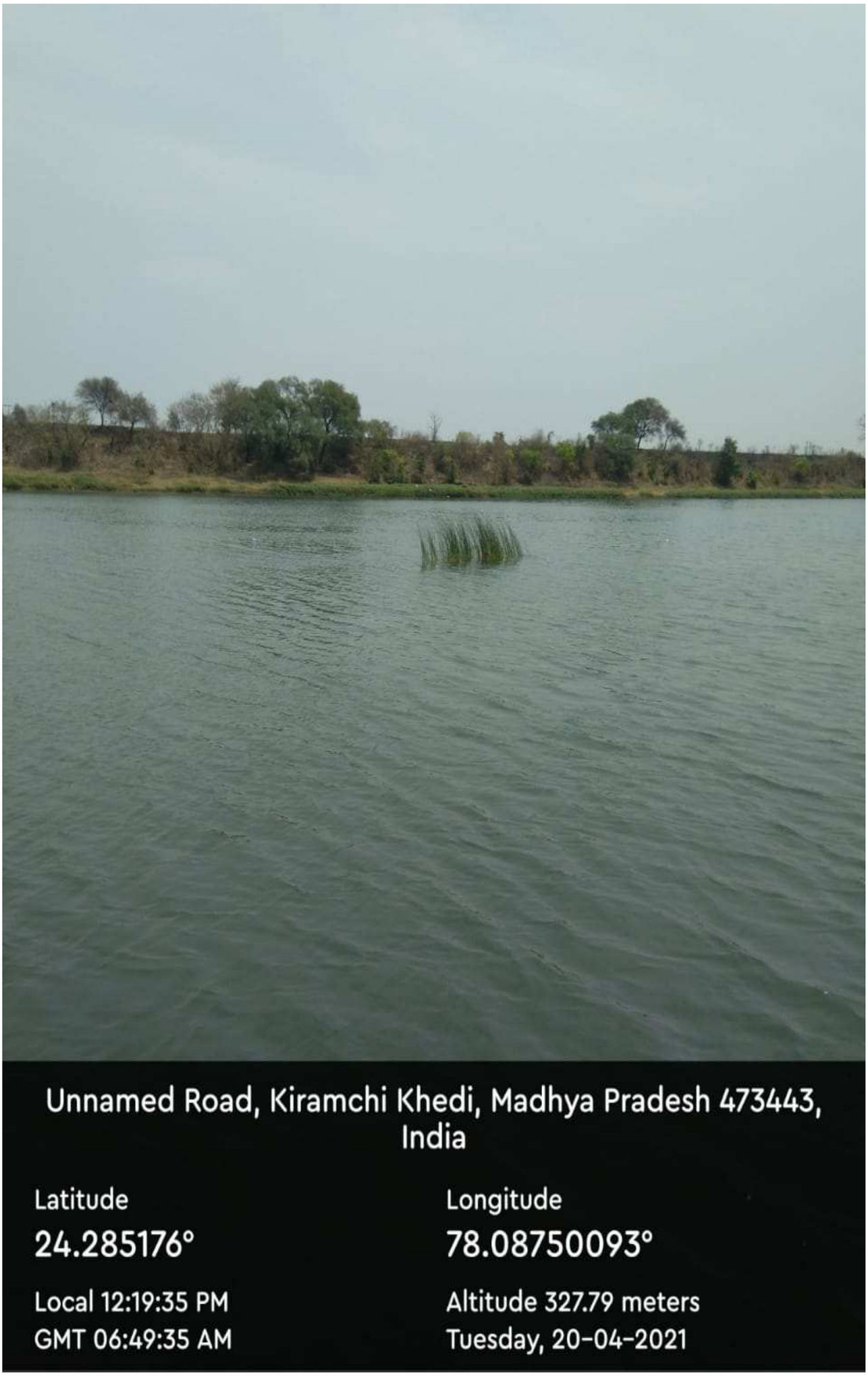
Unnamed Road, Kiramchi Khedi, Madhya Pradesh 473443, India
Latitude
24.285176°
Longitude
78.08750093°
Local 12:19:35 PM
GMT 06:49:35 AM
Altitude 327.79 meters
Tuesday, 20-04-2021

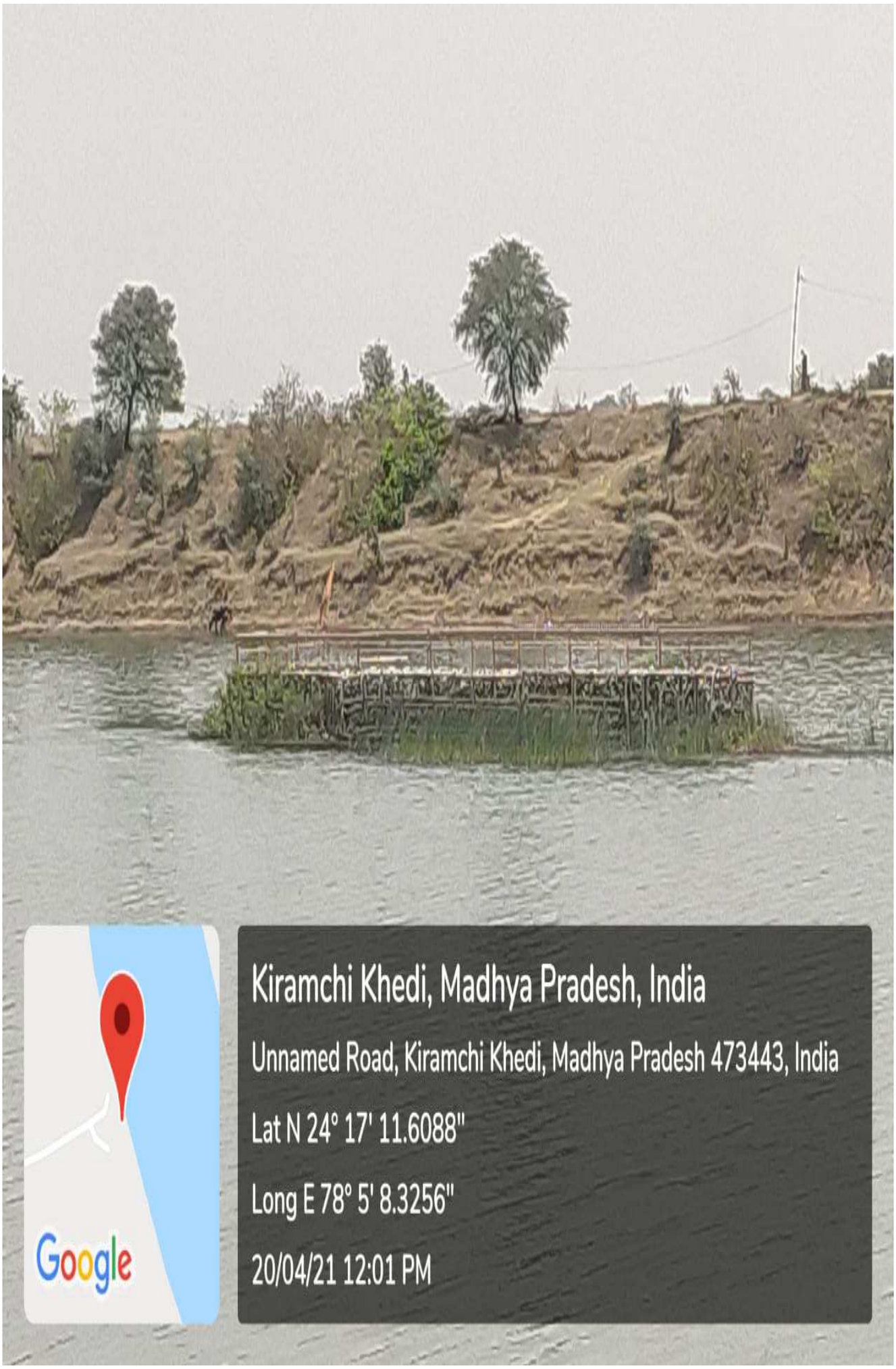
Kiramchi Khedi, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Kiramchi Khedi, Madhya Pradesh 473443, India
Lat N 24° 17' 11.6088"
Long E 78° 5' 8.3256"
20/04/21 12:01 PM
Google

Unnamed Road, Kiramchi Khedi, Madhya Pradesh 473443, India
Latitude
24.2883265°
Longitude
78.08653893°
Local 12:24:15 PM
GMT 06:54:15 AM
Altitude 325.48 meters
Tuesday, 20-04-2021

Unnamed Road, Kiramchi Khedi, Madhya Pradesh 473443, India
Latitude
24.28661002°
Longitude
78.08574427°
Local 12:03:10 PM
GMT 06:33:10 AM
Altitude 331.22 meters
Tuesday, 20-04-2021

Unnamed Road, Kiramchi Khedi, Madhya Pradesh 473443, India
Latitude
24.28656117°
Longitude
78.08535231°
Local 12:32:35 PM
GMT 07:02:35 AM
Altitude 338.59 meters
Tuesday, 20-04-2021

Unnamed Road, Kiramchi Khedi, Madhya Pradesh 473443, India
Latitude
24.28825165°
Longitude
78.0865551°
Local 12:25:53 PM
GMT 06:55:53 AM
Altitude 327.37 meters
Tuesday, 20-04-2021

प्रति,

सहायक खनि अधिकारी

जिला – अशोकनगर

विषय :– श्री तारूण तरूण निसई जी के क्षेत्र में रेत उत्खनन बंद करने बावत्।

संदर्भ :– उपायुक्त (रजस्व) भोपाल संभाग भोपांल का पत्र क्र. 579 दि. 15.01.2021

——00——

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत उपायुक्त (राजस्व) भोपाल संभाग भोपाल द्वारा श्री रतनंचन्द्र जैन, तीर्थक्षेत्र निसई जी ट्रस्ट मल्हारगढ़ जिला अशोकनगर का आवेदन पत्र 30.12.2020 त्रुटिवश इस कार्यालय को प्राप्त है, जो मूलतः आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है, लेख किया गया है।

उक्त शिकायत के संबंध में दिनांक 05.01.2021 को राजस्व, खनिज एवं पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर दो पनडुब्बियों में आग लगाई जाकर नष्ट कर दी गई है। उक्त शिकायत पर कार्यवाही की जा चुकी है। कृपया शिकायत विलोपित योग्य है।

20/01/2021

प्रभारी खनि निरीक्षक

खनिज शाखा अशोकनगर

Scanned with CamScanner

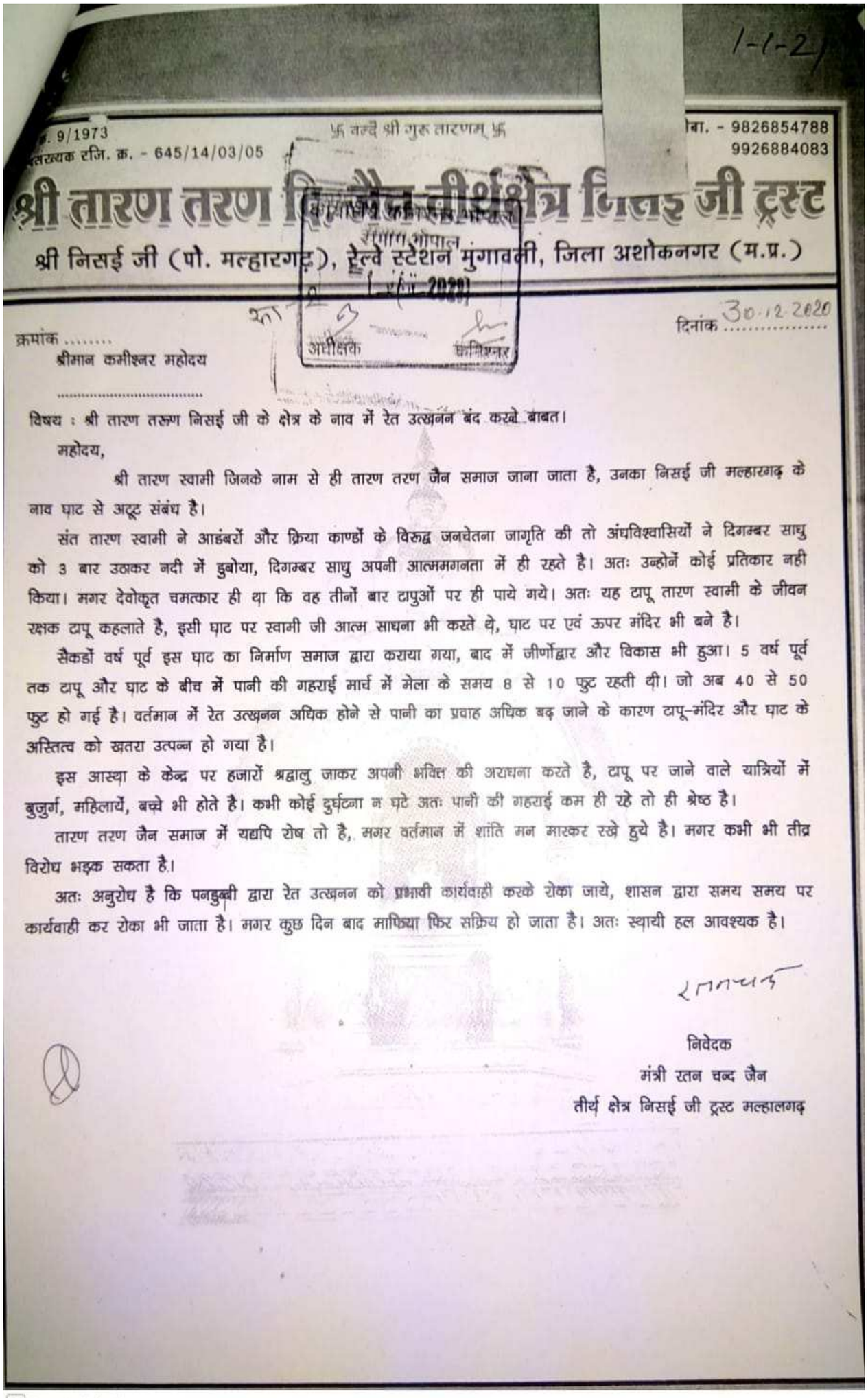

1-1-21

. 9/1973
संख्यक रजि. क्र. - 645/14/03/05

卐 वन्दे श्री गुरु तारणम् 卐

बा. - 9826854788
9926884083

श्री तारण तरण दि. जैन तीर्थक्षेत्र निसई जी ट्रस्ट

श्री निसई जी (पो. मल्हारगढ़), रेल्वे स्टेशन मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

कार्यालय कमिश्नर भोपाल संभाग भोपाल
1-1-2021
अधीक्षक कमिश्नर

क्रमांक .... दिनांक 30.12.2020

श्रीमान कमीश्नर महोदय

....

विषय : श्री तारण तरूण निसई जी के क्षेत्र के नाव में रेत उत्खनन बंद करने बाबत।

महोदय,

श्री तारण स्वामी जिनके नाम से ही तारण तरण जैन समाज जाना जाता है, उनका निसई जी मल्हारगढ़ के नाव घाट से अटूट संबंध है।

संत तारण स्वामी ने आडंबरों और क्रिया काण्डों के विरुद्ध जनचेतना जागृति की तो अंधविश्वासियों ने दिगम्बर साधु को 3 बार उठाकर नदी में डुबोया, दिगम्बर साधु अपनी आत्ममगनता में ही रहते है। अतः उन्होंनें कोई प्रतिकार नही किया। मगर देवोकृत चमत्कार ही था कि वह तीनों बार टापुओं पर ही पाये गये। अतः यह टापू तारण स्वामी के जीवन रक्षक टापू कहलाते है, इसी घाट पर स्वामी जी आत्म साधना भी करते थे, घाट पर एवं ऊपर मंदिर भी बने है।

सैकडों वर्ष पूर्व इस घाट का निर्माण समाज द्वारा कराया गया, बाद में जीर्णोद्वार और विकास भी हुआ। 5 वर्ष पूर्व तक टापू और घाट के बीच में पानी की गहराई मार्च में मेला के समय 8 से 10 फुट रहती थी। जो अब 40 से 50 फुट हो गई है। वर्तमान में रेत उत्खनन अधिक होने से पानी का प्रवाह अधिक बढ़ जाने के कारण टापू-मंदिर और घाट के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है।

इस आस्था के केन्द्र पर हजारों श्रद्धालु जाकर अपनी भक्ति की अराधना करते है, टापू पर जाने वाले यात्रियों में बुजुर्ग, महिलायें, बच्चे भी होते है। कभी कोई दुर्घटना न घटे अतः पानी की गहराई कम ही रहे तो ही श्रेष्ठ है।

तारण तरण जैन समाज में यद्यपि रोष तो है, मगर वर्तमान में शांति मन मारकर रखे हुये है। मगर कभी भी तीव्र विरोध भड़क सकता है।

अतः अनुरोध है कि पनडुब्बी द्वारा रेत उत्खनन को प्रभावी कार्यवाही करके रोका जाये, शासन द्वारा समय समय पर कार्यवाही कर रोका भी जाता है। मगर कुछ दिन बाद माफिया फिर सक्रिय हो जाता है। अतः स्थायी हल आवश्यक है।

रतनचंद

निवेदक
मंत्री रतन चन्द जैन
तीर्थ क्षेत्र निसई जी ट्रस्ट मल्हारगढ़

Scanned with CamScanner

कार्यालय कमिश्नर, भोपाल संभाग–भोपाल
डी–ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल
दूरभाष : 07552540399, फैक्स : 07552540772, ई–मेल : commbho@nic.in

क्रमांक 579 /सामान्य–2/2021 भोपाल, दिनांक 15 /01/2021

प्रति,

कलेक्टर,
जिला अशोकनगर म0प्र0।

विषय :– श्री तारण तरूण निसई जी के क्षेत्र में रेत उत्खनन बंद करने बाबत्।

श्री रतनचन्द्र जैन, तीर्थक्षेत्र निसई जी ट्रस्ट मल्हारगढ जिला अशोकनगर का आवेदन पत्र 30/12/20 त्रुटिवश इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो मूलतः आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्न– 1.

(संजू कुमारी)
उपायुक्त (राजस्व)
भोपाल संभाग, भोपाल

CS Scanned with CamScanner

कैथन नदी पर रेत उत्खनन की तैयारी में थे माफिया

प्रशासन ने नदी में रखी पोकलेन मशीन को किया खाक

बहादुरपुर, 17 फरवरी निसं।

अंचल में बेखौफ चल रहे रेत उत्खनन पर प्रशासन ने सख्त रुख दिखाया है। मंगलवार को ग्राम खिरिया स्थित कैथन नदी के घाट पर रेत उत्खनन की शिकायत मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए नदी में रखी एक पोकलिन मशीन को जब्त कर आग के हवाले कर दिया। बहादुरपुर तहसीलदार सोनू गुप्ता, थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह यादव सहित पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन ने नदी से रेत का दोहन करने के लिए रखी एक पनडुब्बी मशीन को मौके पर ही आग के हवाले कर दिया। प्रशासन की कार्रवाई को देखकर रेत माफिया मौके से फरार हो गए। तहसीलदार सोनू गुप्ता ने बताया कि ग्राम पंचायत गीलारोपा के सरपंच द्वारा शिकायत की गई थी कि कुछ लोग खिरिया स्थित कैथन घाट पर पोकलिन मशीन लगाकर रेत निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना पर तहसीलदार और थाना प्रभारी द्वारा मौके पर जाकर नदी में रखी पोकलिन मशीन को आग लगाकर नदी में ही नष्ट कर दिया।

काली रेत के अबैध उत्खनन के चलते मुंगावली में भी जलाई गईं थीं पनडुब्बियां : हाल ही में कुछ रोज पहले मुंगावली एसडीएम व संयुक्त टीम ने मिलकर मुंगावली के पास बेतवा नदी पर काली रेत के धडल्ले से हो रहे अबैध उत्खनन पर कार्यवाही करते हुए तीन पनडुब्बियों को भी आग के हवाले किया था। लेकिन माफियाओं के हौसले फिर भी नहीं डगमगा रहे। जगह–जगह रेत निकालने की फ़िराक में दिन–रात अंचल के नदी घाटों में रेत निकालने की फ़िराक में लगे हुए हैं। ऐसे में इस प्रकार से रेत माफियाओं पर कार्यवाही आमजन महज दिखावा कार्यवाही के आरोप भी प्रशासन पर लगाती है और रेत माफियाओं से मिले जुले होने के सवाल खड़ा करती है।